उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001
दूरभाष : 0522–2621737, 2274250
फैक्स : 0522–2623578, 2615526

पत्र सं0: 1112 रोपी/14–7 रोपी/जनरल/2014 दिनांक: 21 जुलाई 2014

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

डिपो की समीक्षा बैठकों में यह प्रकाश में आया है कि कई क्षेत्रों द्वारा बस सेवाएं 75 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर पर संचालित की जा रही हैं तथा कुछ बसों के ट्रिप का लोड फैक्टर 50 प्रतिशत से कम होने के बावजूद उनका संचालन किया जा रहा है, जबकि इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिए गये थे कि ऐसा न किया जाय एवं 50 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर में बस का संचालन करने अथवा उसका ट्रिप का लोड फैक्टर 50 प्रतिशत से कम होने की दशा में चालक/परिचालक, स्टेशन प्रभारी/स्टेशन अधीक्षक तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक हानि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि कोई बस सेवा (बस सर्विस) 75 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर पर नहीं चलायी जायेगी तथा कोई भी बस ट्रिप 50 प्रतिशत कम लोड फैक्टर पर संचालित न की जाय। इसके अतिरिक्त उक्त के सम्बन्ध में यह निर्देश दिए जाते हैं कि निम्नांकित शब्दावली का 2फिटX3फिट का बोर्ड अथवा वाल पेंटिंग क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/स्टेशन अधीक्षक/केन्द्र प्रभारी कार्यालयों/बस स्टेशन एवं कार्यशाला में लगाया/बनवाया जाय:–

"बस की कोई भी ट्रिप 50% से कम एवं दैनिक सेवा 75% से कम लोड फैक्टर पर चलाये जाने पर निगम की हानि ड्राईवर/कंडक्टर, स्टेशन प्रभारी/स्टेशन अधीक्षक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक से वसूली जायेगी।"

उपरोक्त बोर्ड/पेंटिंग पीले रंग के बेस पर बनायी जायेगी एवं काले रंग से अक्षर लिखे जायेगें। इन्हें ऐसे स्थानों पर लगाया जाय जहां पर सभी के दृष्टि में रहे।

उपर्युक्त के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाय।

/
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः समसंख्यक/समदिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन), निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. समस्त नोडल अधिकारी, निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अपने नोडल क्षेत्र के भ्रमण के समय उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा अपनी निरीक्षण आख्या में भी इसका उल्लेख करेगे।

18/07/14
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com